5-8-23 -5 लिमिटेशन पर सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दि.18-8-23 को पेश हो।

1

18.8.23 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई थी/ वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि नामान्तरण स. 101 कोरम की मिटिंग मे दि.28.5.1991 को रेस्पोन्डेन्ट स.1 के पक्ष मे स्वीकृत किया गया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही थी। अपीलान्ट के स्व. पिता के हक हिस्से की कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट स.1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने का पता चला जिस पर अपीलान्ट ने नामान्तरण स-101 की नकल एवं जमाबन्दी खाते की नकल दि.5-8-2021 प्राप्त की गई उसके बाद ही न्यायालय श्रीमान मे अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलान्ट ने अपील पेश करने मे जानबूझ कर देरी नही की गई है। इसलिए अपील पेश करने की देरी को क्षम्य किया जावे। साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत है। वकील अपीलान्ट की बहस पूर्ण होने पर वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी जवाबी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि नामान्तरण स.101 को स्वीकृत हुए 22 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। नामान्तरण स्वयं अपीलान्ट की सहमति एवं जानकारी से हुए है। उक्त भूमि सहखातेदारी मे थी जिसका विभाजन भी हुआ है एवं 20 वर्ष तक अपने पिता की भूमि के बारे या स्वयं [illegible] खाता की जानकारी नही होना [illegible] अपीलान्ट की निरस्त फरमाया [illegible] अपीलान्ट कि मियाद बाहर होने से निरस्त फरमावे।
प्रार्थना पत्र धारा.5. कानून मियाद अधि. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी (

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:07 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पंचायत शादी के सरपंच द्वारा दि. 28-5-91
को अन रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर विरासत
से अशोक कुमार के नाम निस्पादित किया गया था।
सरंपच की टिप्पणी मे स्पष्ट किया है कि राधेश्याम
के दो लड़कीया है जिनकी शादी हो चूकी है और
ससुराल मे रहती है राधेश्याम के कोई जायन्द्र
पुत्र नही है। राधेश्याम का क्रिया क्रम जातिरिवाज
के अनुसार अशोक कुमार पिता राधेश्याम द्वारा किया
गया है। किन्तु अपीलान्ट का कथन है कि अशोक
कुमार के पक्ष मे खोले गये ना.स. 101 की जानकारी
दस्तावेजों की नकल की नकल लेने पर हुई जबकी
सरंपच की टिप्पणी से ये स्पष्ट होता है कि विरासत
से खोले इन्तकाल की कार्यवाही गोदनामे के आधार
पर कि गई है। इससे ये प्रतित होता है कि इन
सब कार्यवाही कि जानकारी अपीलान्टस को थी।
अपीलान्टस ने दफा-5 मियाद अधि. प्रा-पत्र मे ये
कथन भी किया है कि अशोक के पक्ष मे स्वीकृत किया
गया नामान्तरण की जानकारी मुझ अपीलान्ट को नही
थी। रेस्पो. अशोक के नाम पर राजस्व रिकार्ड मे
दर्ज होने की बात कही थी। जिस पर अपीलान्टस
द्वारा दस्तावेजों की नकल प्राप्त की गई। अपीलान्टस
ने ये स्पष्ट नही कहा कि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज
होने की बात कब और किसने कितनी तारिख को
कही ये तथ्य अपीलान्टस ने अपने प्रार्थना पत्र मे
कही भी स्पष्ट नही किया है। रही बात दस्तावेजों
कि नकल दिनांक 5-8-2021 को प्राप्त करने की तो
राजस्व रिकार्ड की नकले कभी भी और कितनी ही
बार प्राप्त की जा सकती है। अपीलान्टस का ये कथन
कहना कि पिता की मृत्यु के पश्चात खोले गये दि.
~~28-5-1991~~ 25-5-1991 को नामान्तरण की कार्यवाही
कि जानकारी नही थी। क्योंकि पिता की मृत्यु के
पश्चात लगभग 21 वर्ष बाद नामान्तरण की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:07 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख जो इस हुक्म के में जारी

होना अपने आय मे से देहास्पद है। क्योकि अपने पिता की भूमि के बारे मे या स्वय के बारे मे खाते की जानकारी नही किया जाना असभव है। इन सभी तथ्यो पर मनन करने पर ऐसा प्रतित होता है कि अपीलान्टस को सब कार्यवाही की जानकारी होते हुए अपीलान्टस ने जानबुझ कर गलत तथ्यो का अंकन किया है। पुंव 20,21 वर्ष पश्चात अपील प्रार्थना पत्र पेश कर साथ दफा 5-मियाद अधि का स्वीकार किया जाना न्याय सेगत नही है।

अतः अपील अपीलान्टस का दफा-5. मियाद अधि का पुनः द्वारा खारिज किया जाता है। अपील प्रार्थना पत्र मे दफा-5. मियाद अधि. प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपील अपीलान्टस की खारिज कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:07 IST
Reason: SelfAttested